



नागरिक / ग्राहक अधिकार-पत्र

भा.कृ.अनु.प.-राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र
(2022-2023)

पता: मुशहरी फार्म, मुशहरी, पो.-रमना, मुजफ्फरपुर- ८४२००२ (बिहार)

वेबसाईट: <https://nrclitchi.icar.gov.in>

जारी करने का तिथि : फरवरी, २०२३

अगली समीक्षा : जुलाई २०२३

दृष्टिक्षेत्र, मिशन एवं अधिदेश

दृष्टिक्षेत्र

संसार के किसी अच्छे संस्थान की तरह लीची हेतु शोध प्रसार एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट केन्द्र विकसित करना ताकि लीची उत्पादकों, व्यापारियों को आर्थिक समृद्धि मिले तथा जीवन-यापन की सुरक्षा प्रदान हो

मिशन

विज्ञान एवं तकनीकी का परस्पर प्रयोग एवं समावेश करके अनुसंधान प्रचार-प्रसार गतिविधियों द्वारा गुणवत्तायुक्त उत्पादन, उत्पादकता, प्रसंस्करण एवं विविध उपयोग को बढ़ावा देना तथा लीची पर आधारित टिकाऊ उत्पादन, उद्योग एवं व्यवसाय को प्रेरित करना

अधिदेश

- लीची के संवर्धित, सतत और सुरक्षित उत्पादन के लिए आनुवंशिक संसाधनों और उत्पादन प्रौद्योगिकियों पर अनुप्रयुक्त और रणनीतिक अनुसंधान
- लीची की उत्पादकता बढ़ाने और बनाये रखने के लिए हितधारकों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और उनका क्षमता निर्माण

प्रमुख सेवायें / कार्य विवरण

क्र.स.	सेवायें / कार्य विवरण	तुलनात्मक महत्व	जिम्मेदार व्यक्ति एवं पदनाम	ई.मेल	मोबाईल एवं फोन नं.	प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज	फीस			
								वर्ग	माध्यम	धनराशि	
1.	लीची के गुणवत्तायुक्त पौध सामग्री का उत्पादन एवं आपूर्ति	60	डॉ. सुनील कुमार, वैज्ञानिक एवं प्रभारी, फार्म	sunil.kumar44@icar.gov.in	+91 8860006741	प्रस्ताव की प्राप्ति पौध उपलब्धता का परीक्षण पौध सामग्री का आवंटन	प्रस्ताव / माँग पत्र सादे कागज अथवा विहित प्रपत्र के द्वारा दिया जा सकता है	किसानों द्वारा पौधे के उठाव के समय धनराशि का भुगतान करना जरूरी होगा। अधिक मात्रा में पौधों की खरीद हेतु सम्बन्धित व्यक्ति/संस्था को विहित माँगपत्र/पत्राचार द्वारा पौधों के आरक्षण हेतु अग्रिम सूचना संस्थान को देनी होगी।			
								<p>दर: व्यवसायिक किस्में</p> <p>रुपये 100/ पौधा (80-100 सेमी ऊँचाई के 12-15 महीने पुराने पौधे)</p> <p>रुपये 200/ पौधा (120-150 सेंटीमीटर ऊँचाई और अच्छी तरह से स्थापित जड़ों के साथ 24-26 महीने पुराने पौधे नई किस्में</p> <p>रुपये 125/ पौधा (80-100 सेमी ऊँचाई के 12-15 महीने पुराने पौधे)</p> <p>उपलब्ध व्यवसायिक किस्में: शाही, चाइना, बेदाना, रोज सेन्टेड, पूर्बी, मंदराजी</p> <p>नई किस्में: गंडकी सम्पदा, गंडकी लालिमा, गंडकी योगिता</p>			

2.	किसानों के लीची सम्बंधी प्रश्नों/शंकाओं का त्वरित समाधान	40	डॉ. बिकाश दास, निदेशक डॉ. विनोद कुमार, प्रधान वैज्ञानिक, एवं अध्यक्ष पीएमई	Director.nrcl@icar.gov.in vinod.kumar11@icar.gov.in	+91 9431813884	प्रश्नों/पत्रों की प्राप्ति दूरभाष/ ईमेल/ पत्र द्वारा प्रश्नों/शंकाओं का उत्तर/समाधान	प्रश्नों/अपेक्षित जानकारी के लिए दूरभाष/ईमेल/पत्र द्वारा पूछा जाना	निःशुल्क
----	--	----	---	--	----------------	--	---	----------

सेवार्यें मानक

क्र. स.	सेवार्यें /कार्य विवरण	तुलनात्मक महत्व	सफलता के संकेत	सेवा मानक	इकाई	भार	आँकड़ा स्रोत
1.	लीची के गुणवत्ता के पौध सामग्री का उत्पादन एवं आपूर्ति	60	मांगपत्र प्राप्त करने की तिथि से पौध आपूर्ति में लगने वाला समय	8	महीना	60	संस्थान अभिलेख
2.	लीची से संबंधित किसानों द्वारा पूछी गयी जानकारी का त्वरित समाधान	40	दूरभाष या व्यक्तिगत रूप में उत्तर	शीघ्र	कार्य-दिवस	25	संस्थान अभिलेख
			ई-मेल द्वारा उत्तर	5	कार्य-दिवस	10	संस्थान अभिलेख
			डाक द्वारा उत्तर	12	कार्य-दिवस	5	संस्थान अभिलेख

शिकायत निवारण तंत्र

क्र. स.	लोक शिकायत निवारक अधिकारी का नाम	हेल्पलाइन नम्बर	मोबाइल नम्बर	ई-मेल
1.	श्री दिलीप कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी	—	+91-9123237762	aaonrcl@gmail.com dileep.kumar1@icar.gov.in

हितधारक / ग्राहक

क्र.स.	हितधारक / ग्राहक
1.	राज्यों के उद्यान विभाग
2.	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
3.	कृषि विज्ञान केन्द्र
4.	एपीडा
5.	गैर सरकारी संगठन
6.	लीची प्रसंस्करण उद्योग
7.	किसान

क्षेत्रीय स्टेशन / केन्द्र: नहीं हैं

क्र. सं.	क्षेत्रीय / केन्द्र का नाम	फोन न.	मोबाईल न.	ईमेल	पता

सेवा प्राप्तकर्ता से सांकेतिक उम्मीदें

क्र.स.	सेवा प्राप्तकर्ता से सांकेतिक उम्मीदें
1.	सम्बन्धित ग्राहकों / संस्थाओं को आवश्यकतानुसार पौधों की मांग को लीची पौधरोपण अवधि को ध्यान में रखते हुए समय पर देना
2.	ग्राहकों / नागरिकों की लीची उत्पादन / पौध सुरक्षा की तकनीकी सम्बन्धित प्रश्नों / शंकाओं को समयानुसार पूछा जाना